सूचना एवं प्रचार निदेशालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

पत्रांक–F.9(25)/18-19/DIP/Estt/LAS/ 959–60 दिनांक 26/2/19

सेवा में

उप सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा
पुराना सचिवालय,
दिल्ली–110054

विषय– दिल्ली विधान सभा में श्री गिरीश सोनी, माननीय विधायक द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या–96 दिनांक 27–02–2019 का उत्तर।

महोदय,

आपके पत्र के संदर्भ में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित उपरोक्त प्रश्न के उत्तर की 100–100 प्रतियां संलग्न है।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(विनय कुमार मोंगिया)
प्रशासनिक अधिकारी

संलग्नक– उपरोक्त

पत्रांक–F.9(25)/18-19/DIP/Estt/LAS/ 959–60 दिनांक 26/02/19

प्रति–

1 उप निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली को उपरोक्त प्रश्न के उत्तर की 150 प्रतियों के साथ, सदन में वितरण के लिए।

(हस्ताक्षर)

(विनय कुमार मोंगिया)
प्रशासनिक अधिकारी

सूचना एवं प्रचार निदेशालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

अतारांकित प्रश्न संख्या:–96
दिनॉक:–27.02.2019
प्रश्नकर्त्ता का नाम:– **श्री गिरीश सोनी**
क्या उपमुख्यमंत्री /मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क	सरकार द्वारा जारी योजनाओं को जनता तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता है;	सूचना एवं प्रचार निदेशालय दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी को संबंधित विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, बाह्य प्रचार माध्यम, प्रेस विज्ञप्ति, संवाददाता सम्मेलन, दिल्ली मासिक पत्रिका आदि के माध्यम से दिल्ली की जनता तक पहुंचाता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ई डिस्ट्रिक पोर्टल www.edistrict.delhi.govt.nic.in के माध्यम से दिल्ली के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं तथा इसका प्रचार विभागीय वेबसाइट www.scstwelfare.delhigovt.nic.in एवं समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर और दिल्ली सरकार घर से घर (डोर टू डोर स्टेप डिलियरी–1076) के माध्यम से भी किया जाता है। विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए संकलित जय भीम प्रतिभा विकास योजना का प्रचार विभागीय वेबसाइट एवं समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर किया जाता है। उपरोक्त योजनाओं का प्रचार दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगाकर भी किया जाता है।
ख	क्या उनके लिए सरकार द्वारा किसी प्रकार के सुविधा कैंप भी लगाए जाते हैं;	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विभाग द्वारा वर्तमान में कोई सुविधा कैम्प नहीं लगाए गए हैं। हालांकि समय समय पर विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित किए जाने वाले जागरूकता कैम्पो में उनके अनुरोध पर इस विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार किया जाता है। सूचना एवं प्रचार निदेशालय की ओर से किसी प्रकार के सुविधा कैंप नहीं लगाए जाते हैं।

ग	यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं होता।
घ	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग की विभिन्न योजनाओं को पिछले पाँच वर्षों में किस माध्यम से उन तक पहुँचाया गया है; और	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विभाग की विभिन्न योजनाओं को पिछले पांच वर्षों में निम्नलिखित माध्यमों से उन तक पहुंचाया गया है। 1 समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा। 2 विभागीय वेबसाईट www.scstwelfare.delhigovt.nic.in 3 डोर टू डोर स्टेप डिलिवरी–1076 विभिन्न विभागों और संस्थानों द्वारा इस वर्ग के लिए आयोजित कार्यक्रमों में भी पैम्पलेट तथा बैनर द्वारा भी प्रचार किया गया है।
ड	जनता के लिए किसी योजना के प्रचार के कितने समय के अन्तराल पर पुनः प्रचार किया जाता है?	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जनता के लिए किसी योजना हेतु सामान्यत 1 वर्ष के समय के अन्तराल पर पुनः प्रचार किया जाता है। संबंधित विभाग के अनुरोध पर सूचना एवं प्रचार निदेशालय समय समय पर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार करता है।

विभागाध्यक्ष
(सूचना एवं प्रचार विभाग)

MOST URGENT
(Vidhan Sabha Unstarred Question)

GOVT. OF NCT OF DELHI

DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MIN.

B-BLOCK, 2ND FLOOR, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No.F.5(3)/2018-19/DSCST/PG/VSQ-US96/ 2771 Dated: 22/2/2019

To

Section Officer,
Directorate of Information & Publicity, GNCT of Delhi,
Block No. – IX, Old Secretariat,
Delhi-110054

Subject: Reply of Vidhan Sabha Unstarred Question no. 96 asked by Sh. Girish Soni, Due for answer on 27/02/2019.

Sir,

With reference to your letter no. F.9(25)/18-19/DIP/Estt./LAS/857 Dt. 20/02/2019 on the subject cited above. The reply of Unstarred Question no. 96 is as under:

अतारांकित प्रश्न संख्या – 96
दिनांक – 27 फरवरी, 2019
प्रश्नकर्ता – श्री गिरीश सोनी

क्या उप मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	सरकार द्वारा जारी योजनाओं को जनता तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता है;	इस विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in के माध्यम से दिल्ली के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों से ऑन–लाइन आवेदन मांगे जाते है तथा इसका प्रचार विभागीय वेबसाईट: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in एवं समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर और दिल्ली सरकार द्वारा घर से घर (डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी 1076) के माध्यम से भी किया जाता है (हेल्पलाईन नं. 1076)। विभाग द्वारा दिल्ली के अनु.जाति वर्ग के छात्रों के लिए संचलित "जय भीम प्रतिभा विकास योजना" का प्रचार विभागीय वेबसाइट एवं समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर किया जाता है। उपरोक्त योजनाओं का प्रचार दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगाकर भी किया जाता है।
ख)	क्या उनके लिए सरकार द्वारा किसी प्रकार के सुविधा कैंप भी लगाए जाते है;	इस विभाग द्वारा वर्तमान में कोई सुविधा कैंप नही लगाए गए हैं, हालांकि समय समय पर विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित किए जाने वाले जागरूकता कैम्पों में उनके अनुरोध पर इस विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार किया जाता है।
ग)	यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;	उपरोक्त के संदर्भ में लागू नही होता।
घ)	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग की विभिन्न योजनाओं को पिछले पाँच वर्षों में किस माध्यम से उन तक पहुँचाया गया है; और	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग की विभिन्न योजनाओं को पिछले पाँच वर्षों में समय समय पर निम्नलिखित माध्यमों से उन तक पहुँचाया गया है:– 1. समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा। 2. विभागीय वेबसाईट www.scstwelfare.delhigovt.nic.in 3. डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी–1076। विभिन्न विभागों एवं संस्थानों द्वारा इस वर्ग के लिए आयोजित कार्यक्रमों में भी पेम्पलेट तथा बैनर द्वारा भी प्रचार किया गया है।
ड)	जनता के लिए किसी योजना के प्रचार के कितने समय के अन्तराल पर पुनः प्रचार किया जाता है?	जनता के लिए किसी योजना के प्रचार हेतु सामान्यत 1 वर्ष के समय के अन्तराल पर पुनः प्रचार किया जाता है।

1175/OIP/Estt.
22/2/19

Dy. Dir (Admn)

Yours faithfully

(A.K.SRIVASTAVA)
Joint Director, DSCST